





"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का निष्ठाकर्ता है और कौन कानून का निर्माता" -वेडेल फिलिपा

# भारतीय बस्ती

बस्ती 6 अगस्त 2024 मंगलवार

## सम्पादकीय

### मुकदमों का बढ़ता बोझ

लोकतंत्र के चार स्तंभों में से एक न्यायपालिका काफी दबाव में है। अदालतों में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। देश के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर विभिन्न अदालतों में मुकदमों का बोझ इस कदर हावी है कि न्याय की रफ्तार धीमी से धीमी होती जा रही है। अदालतों पर बढ़ते बोझ की समस्या की तस्वीर आंकड़ों के साथ पेश की जाए तो आम आदमी न्याय की आस ही छोड़ देगा। आंकड़ों के हवालों से बात की जाए तो देश के विभिन्न अदालतों में अभी जितने मुकदमे लंबित हैं, सिर्फ उनकी ही दंग से सुनवाई की जाए, तो उनका निपटारा होने में लगभग 25 सालों का समय लगेगा। आसानी से समझा जा सकता है कि अगले 25 सालों में अदालतों में और कितने नए मुकदमे आएंगे। इस तरह से जो लंबित मुकदमे हैं, उन्हें निपटाने में 25 वर्ष की जगह और भी लंबा समय लग सकता है। साफ है कि एक ओर तो न्यायपालिका पर मुकदमों का बोझ लदा है, दूसरी ओर उसके जरूरत पर न्यायाधीश भी नहीं हैं। देश की न्याय प्रक्रिया को यदि दुरुस्त करना है तो एक साथ दो मोर्चों पर काम करने की जरूरत है।

देश के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की इस स्वीकारोक्ति ने हर संवेदनशील भारतीयों के मन को छुआ कि अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों से तंग आकर लोग बस समझौता करना चाहते हैं। वैसे तो इस बात को सभी महसूस करते हैं लेकिन न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर आसानी मुख्य न्यायाधीश की स्वीकारोक्ति के गहरे निहितार्थ हैं। उन्होंने कहा कि लोग अदालतों में मुकदमों के लंबे खिंचने से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि किसी तरह समझौता करके पिंड छुड़ाना चाहते हैं। न्यायमूर्ति ने स्वीकारा कि एक जज के रूप में यह स्थिति हमारे लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। उन्होंने माना कि इन स्थितियों में किसी तरह का समझौता समाज में पहले से व्याप्त असमानता को ही दर्शाता है। उन्होंने वादों के शीर्ष निपटान में लोक अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया। निरसंहार, गाहे-बगाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका द्वारा न्याय मिलने में होने वाली देरी को लेकर चिंता जरूर जायगी जाती है, लेकिन इस जटिल समस्या के समाधान की दिशा में बदलावकारी प्रयास होते नजर नहीं आते। जिसके चलते तारीख पर तारीख का सिलसिला चलता ही रहता है। न्याय के इंजनार में कई-कई पीढ़ियां अदालतों के चक्कर काटती रह जाती हैं। देश में शीर्ष अदालत, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में मुकदमों का अंबार निश्चित रूप से न्यायिक व्यवस्था के लिये असहज स्थिति है। बताया जाता है कि देश में तीनों स्तरों पर करीब पांच करोड़ मामले लंबित हैं। निश्चित ही यह न्यायिक व्यवस्था के लिये एक गंभीर चुनौती है। जिसके बावत देश के नीति-नियंत्रणों को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

निरसंहार, भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के अनुपात में पर्याप्त न्यायाधीशों व न्यायालयों की उपलब्धता नहीं है। निश्चित रूप से न्याय का मतलब न्याय मिलने जैसा होना चाहिए। न्याय समाज में महसूस भी होना चाहिए। देश में न्याय की प्रक्रिया सहज व सरल तथा आम आदमी की पहुंच वाली होनी चाहिए। राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में न्यायिक प्रक्रिया की मांग लंबे समय से की जाती रही है। इस दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जिससे तारीख पर तारीख का सिलसिला थम सके। जिसके लिये जरूरी है कि अदालती मामलों का तय समय सीमा में निपटारा किया जाना सुनिश्चित हो। उम्मीद की जा रही है कि हाल ही में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद स्थिति में सुधार हो सकेगा। केंद्र सरकार भी कहती रही है कि नये कानूनों का मकसद लोगों को सजा देने के बजाय न्याय दिलाने पर केंद्रित है। विश्वास किया जाना चाहिए कि इन प्रयासों से मुकदमों के निस्तारण में गति आएगी। देश की जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि दशकों से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो। जिससे न्यायिक प्रक्रिया से हताश-निराश लोग समझौता करने को बाध्य न हो। विश्वास किया जाना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश की चिंता के बाद न्यायिक प्रक्रिया को सरल-सुगम बनाने के लिये अभिनव पहल हो सकेगी। जिससे आम लोगों की समय पर न्याय मिलने की आस पूरी हो सकेगी।

# बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट और भारत

-नीरज कुमार दुबे-



बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में जान-माल और लोकतंत्र को भारी नुकसान के बाद आखिरकार शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हो ही गया। देश की कमान अब सेना के पास है और उसने अंतरिम सरकार का गठन करवाने की बात कही है। शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए बांग्लादेश में जिस तरह का अभियान चलाया गया उसने दूसरे इस्लामिक देशों के सत्ताधारियों को नींद उड़ा दी है। शेख हसीना का सत्ता से बाहर होना कहरपंथियों की बहुत बड़ी जीत है। यह जीत दर्शाती है कि दुनिया भर में हावी होते इस्लामिक कहरपंथी अब भारत के बगल में भी प्रभावी हो रहे हैं। दुनिया में कई इस्लामिक देश उदरगामी माने जाते हैं अब उन्हें यह खतरा सता रहा है कि यदि कहरपंथी उनके यहां भी हावी हुए तो वर्तमान सत्ताधारियों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाकर उन्हें शासन से बाहर किया जा सकता है।

जहां तक शेख हसीना की बात है तो उनके शासनकाल में पहली बार देश में हालात इस कदर बेकरार हुए कि उन्हें इस्तीफा देकर अपना देश छोड़कर ही भागना पड़ा। शेख हसीना को खिलाफ इस समय नाराजगी भरे चरम पर पहुंच चुकी थी लेकिन जब वह 2009 का आम चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बनी थी तब उनकी लोकप्रियता देखने लायक थी। 2009 के बांग्लादेश चुनाव के नतीजों से सबसे बड़ा झटका शेख हसीना की मुख्य प्रतिद्वंद्वी खालिदा जिया को नहीं बल्कि कहरपंथी जमात-ए-इस्लामी को लगा था। जमात-ए-इस्लामी वही संगठन है जिसने 1971 के मुक्ति संग्राम में

पाकिस्तान का पक्ष लिया था। खालिदा जिया की सरकार के दौरान आतंकवादी संगठन बांग्लादेश में खूब फले-फूले थे और कहरपंथियों का वहां बोलबाला हुआ करता था। जमात-ए-इस्लामी की ही उस समय 20 ससंद हुआ करते थे। यही नहीं, खालिदा जिया के जमाने में आतंकी तत्व बांग्लादेश की परती का उपयोग करके कई अल्प उग्रवादी संगठनों के ठिकाने बांग्लादेश में हड़क करते थे इस संबंध में जब भी भारत सरकार ने तत्कालीन खालिदा सरकार को कार्रवाई के लिए कहा तब-तब खालिदा जिया की सरकार कह देती थी कि भारत की ओर से दी जा रही सूचनाएं गलत हैं।

खालिदा जिया ने सत्ता से हटने के बाद काफी प्रयास किया कि वह दोबारा सरकार में लौट सकें लेकिन जनता ने उन्हें हमेशा खारिज किया। खालिदा जिया धीरे-धीरे मुख्यभार की राजनीति से दूर हो गयीं जिससे ऐसे उल्टाती और आतंकी तत्वों के

लिए अस्तित्व बनाने का सवाल खड़ा हो गया जोकि खालिदा जिया के शासन की छत्रछाया में पनपते थे। इन तत्वों ने सरकार के विरोध में योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाया और छात्रों को आगे कर वह अपना उदरस्थ हासिल करने में सफल रहे। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वह वहां के लिए तो है ही यह मुश्किल बढ़ने वाली बात है। भारत ने हालांकि बांग्लादेश सीमा पर सतकंठा बढ़ा दी है लेकिन अब देश को चीन और पाकिस्तान की सीमा के अलावा बांग्लादेश सीमा पर भी काफी सावधानी बरतनी होगी। ढाका में दिल्ली सभ्यक सरकार को नहीं रहना पड़ेगा।

हम आखो वार है कि 2009 में शेख हसीना सरकार के आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में प्रगाढ़ता आई थी। इससे पहले जब शेख हसीना 1996 से 2001 के बीच सत्ता में थीं तब भी भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर रहे थे। शेख हसीना ने बांग्लादेश

की कमान संभालने के बाद कहरपंथियों पर लगाम लगाई थी और भारत विरोधी गतिविधियां संचालित कर रहे संगठनों पर भी अंकुश लगाया था। यही नहीं, शेख हसीना बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को भी अक्सर सुरक्षा का पूरा सुरक्षा दिलाती रहती थीं और उनके नातिक आयोजनों में भी शामिल होतीं थीं। शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद हिंदुओं पर हमले बढ़ने और हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाये जाने की आशंका बलवती हो रही है। पहले ही वहां हिंदुओं पर भीमत् हमले होते रहे हैं ऐसे में अब उनके लिए खतरा और बढ़ गया है।

वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि शेख हसीना ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भी संभलते से उभारा था लेकिन यह भी तथ्य है कि हाल के वर्षों में खासकर महामारी के बाद से देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के चलते शेख हसीना को खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही थी। देखा जाये तो बांग्लादेश में

मौजूदा आशाति का कारण सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरियों की संख्या नहीं बढ़ना भी है। उस पर से बांग्लादेश सरकार के हालिया आरक्षण संबंधी फैसले से छात्रों में नाराजगी बढ़ गयी थी। इसके अलावा, बांग्लादेश के कपड़ा कारखाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं लेकिन अब यह क्षेत्र सिकुड़ रहा है जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। साथ ही बांग्लादेश में महंगाई के 10 प्रतिशत के आसपास बने रहने, बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार के सिकुड़ते जाने और देश पर विदेशी कर्ज बढ़ते जाने जैसे कई अन्य कारक भी रहे जोकि शेख हसीना सरकार के खिलाफ आम जनता की नाराजगी बढ़ा रहे थे।

उस पर से जब शेख हसीना ने यह कह दिया कि आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोग छात्र नहीं बल्कि इस्लामिक पार्टी, जमात-ए-इस्लामी और मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के लोग थे तो छात्रों का पूरा और भड़क गया। इसके बाद शेख हसीना ने और कड़ा रुख कारने हुए कह दिया कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं वे छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं इसलिए सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी। उनके इस बयान के बाद तो आंदोलनरत छात्रों ने आर पाठ की लड़ाई का मन बना लिया और आखिरकार वह अपने उदरस्थ को हासिल करने में सफल रहे। बांग्लादेश से जो दुश्च सामने आ रहे हैं वह दर्शा रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों का मकसद सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के अलावा और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जो हकतकी की है वह दर्शा रही है कि अब देश अराजकतावादियों के

हाथ में चला गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के अलावा से जिस तरह मस्ती करते या संपत्ति को नुकसान पहुंचाते या सत्ता को वीथियों सामने आया है उसने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारियों और अकान्गनिस्तान में तलाशकारों के दौरान सरकारी इमारतों में घुसते तालियानियों की याद दिला दी है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों को समझना होगा कि क्रांतियों को तोड़ने, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाने और किसी देश के विरोध में अभियान चलाने से देश की अर्थव्यवस्था सुधर नहीं जायेगी।

बांग्लादेश में लोकतंत्र के नहीं रहने का सबसे बड़ा खामियाजा यह होगा कि विदेश कर्ज हासिल करने के जो प्रयास किये जा रहे थे, या बांग्लादेश का आर्थिक अर्थ बाला था, अब वह बाकि हो जायेगा। बांग्लादेश में लोकतंत्र के नहीं रहने का खामियाजा यह होगा कि विदेशी सरकारों उसकी मदद करने से कारागीरी। दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश दूसरे देश की सरकार से ही बाधोचित करने या कोई कार करने को बरीयाता देता है। सैन्य नियंत्रण वाले देशों से लोकतांत्रिक देश अक्सर दूरी बनाये रखते हैं।

बहरहाल, बांग्लादेश की सेना और राष्ट्रपति को चाहिए कि जल्द से जल्द अंतरिम सरकार का गठन किया जाये और समय हो तो नये चुनाव कराये जाए। यह सर्वविधित है कि हिंसा किसी मसले का हल नहीं है, लूटपाट और उचलत उचलते देश को नुकसान ही होगा और पिछले वर्षों में आगे बढ़ने के लिए जो प्लेनट की गयी थी उस पर भी पानी फिर जायेगा। इसलिए समय की आवश्यकता है कि बांग्लादेश एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकले।

## जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित हों युवा



-सुरेश सेट-

दुनिया तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। कामकाज के तरीके तेजी से डिजिटल और स्वचालित हो रहे हैं। रोबोटिक शक्ति इस्का आधार बन रही है। कृत्रिम भ्रमा भी मुख्य सहायों के रूप में उभर रही है। यानी भारत में उद्यमान, निवेश और खेती-किसानी के तरीके भी बदलेंगे।

विशेषज्ञों के अनुसार अगले दस सालों में कामकाज के घंटों और नौकी करने के तौर-तरीकों में परिवर्तन आएगा। एआई और रोबोटिक्स के चलते स्थायी व्यवस्था की जगह निगम अर्थव्यवस्था सामने आएगी। इसमें जरूरत के अनुसार अस्थायी कर्मचारियों को काम पर रखने का चलन बढ़ेगा। इससे सफाई, इस्का अंतर डिजिटल और इंटरनेट की दुनिया में अभी से दिखने लगा है। आईटी एक्सपर्ट वर्क फ्रॉम होम करते हुए एक साथ कई कंपनियों का काम संभाल रहे हैं। पिछले दिनों एक अस्थायी सामने आया था कि काम के घंटे 10 से 14 कर दिए जाएं, क्योंकि आईटी क्रांति का सामना इसी तरह से किया जा सकेगा। बहरहाल, कामकाजी दुनिया की हकीकत बदल रही है।

हाल के बजट में वित्तमंत्री ने भी जिन पक्ष क्षेत्रों में नौकी की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है, उसमें कृषि तथा और रोबोटिक्स की दुनिया के प्रयोग को नकारा नहीं है। भारत, जिसकी आबादी इस समय दुनिया में सबसे अधिक है, क्या वह कृत्रिम तया या रोबोट का उपयोग उसी तरह कर सकता है जैसे शक्ति-संकेत पध्दती की रफ्त करते हैं, जहां आबादी की संख्या कम है। बजट सदन में वित्तमंत्री ने नई नौकरियों के लिए दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।



-सुरेश सेट-

इसके द्वारा अगले पांच साल में 4.1 करोड़ नौकरियों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे रोजगार की दुनिया में खुद को अनुकूलित कर सकें।

देश में आज भी आधी आबादी से काम खेतीबाड़ी में लगी हुई है। प्रश्न है कि वहां से सफल घरेलू आय में केवल 16 प्रतिशत का योगदान ही क्यों मिल रहा है? आंकड़ें बताते हैं कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़ी है। इसका अतिरिक्त, ऐसे बेरोजगार भी हैं जो पारंपरिक तरीके से अपनी पैतृक खेतीबाड़ी के धंधे में लगे रहते हैं, लेकिन देश की निवद आय में उनका कोई योगदान नहीं है। इस अनुपयोगी युवा शक्ति का इस्तेमाल किसी ऐसे केंद्रीक क्षेत्र में होना चाहिए जो उन्हें ग्रामीण स्तर पर ही वहीं काम उपलब्ध करावे। लघु और कुटीर उद्योगों का विकास और फसलों को पूर्ण रूप से तैयार करके सीधे मंडी में बेचना भी एक समाधान हो सकता है। बजटिय घोषणाओं में आने वाले वर्य अखिल भारतीय सहकारी अभियान चलाने का वादा है। इसका अंतर्गत इन सभी लोगों को कामगार बनाना। लघु-कुटीर उद्योगों की बातें तो होती हैं लेकिन लाल डोरा क्षेत्र में भी ग्रामीण युवा शक्ति के स्थान पर शहरी निवेशक ही प्रवेश करना जमाना आता है।

निरसंहार, जब निजी क्षेत्र का विकास होगा और नये कारखाने खुलेंगे या फसलों पर आधारित छोटे उद्योग बढ़ेंगे, तो लोगों को स्वाम्यधिक रूप से रोजगार मिल जाएगा। सरकार द्वारा नौकरियों देने की क्षमता बहुत कम है। बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का प्रयास 30 से अधिक नहीं रहा। आर्थिक प्रोत्साहन और नए निवेश के बाजूद देश अर्थिक से अधिक हर साल 70 लाख नौकरियां ही प्रदान कर पाएगा, जबकि देश के युवाओं को हर वर्ष कम से कम एक करोड़ नौकरियों की आवश्यकता पड़ेगी। यथा निजी क्षेत्र, सरकार के सभी प्रोत्साहनों, सब्सिडियों, मुद्रा बचतों और लोन हमता बढ़ने के बावजूद इस कमीती पर पूरा उत्तर संकेगा? देशक, इस बार के बजट में मुद्रा योजना के तहत कर्ज की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख में मुद्रा इकाई कर दी गई है। नया प्रशिक्षण प्राप्त करने की इंटरनेट पर सक्विटी भी दी जा रही है। लेकिन क्या इतना काफी है?

देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों को अभी भी उचित महत्व नहीं दिया जा रहा। शिक्षा बजट में केवल सात लाख करोड़ रुपये और सेहत बजट में केवल 89 हजार करोड़ रुपये के वृद्धि हुई है। यह युवा शक्ति को स्वस्थ-शिक्षित नागरिक बनाने हेतु काफी नहीं है।

शिक्षाविदों के अनुसार, पुरानी शिक्षा पद्धति से निकले हुए 75 प्रतिशत ग्रेजुएट्स नहीं शिक्षित व्यक्तियों में नौकरी के योग्य नहीं हैं। इसलिए युवा शक्ति को अपनी डिग्री से कहीं नीचे के काम करने से लिए समझौता करना पड़ता है। देश में काम देने में अक्षमता के कारण का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन डिजिटलीकरण के साथ असंप्रतिभगी भी विस्तारत नजर आ रहा है। जसकी है कि बेरोजगारों के संघर्ष को बेहतर ढंग से समझा जाए और बदलते समय की मांगों के अनुसार युवा शक्ति को प्रशिक्षित करके उससे सही दिशा में कार्यशील बनाया जाए।

-लेखक साहित्यकार हैं।



-डॉ. आशीष वशिष्ठ-

सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक अहम फैसले में यह साफ कर दिया है कि राज्यों को आरक्षण व्यवस्था में कोटे के भीतर भी कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति व जनजातित वंशों में भी आरक्षण के लिए अलग-अलग श्रेणियां बना सकती हैं। यह अधिकार अभी तक राष्ट्रपति के पास ही सुरक्षित था। संसद में ही प्रस्ताव पारित कर, किसी भी जाति को, आरक्षण के दायरे में लाया जा सकता था अथवा जाति को आरक्षण से बाहर भी किया जा सकता था।

इस फैसले के बाद इन वर्गों में हाशिर पर पड़ी जातियों को आरक्षण का फायदा मिलने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह बात भी लातारार उठाई जा रही थी कि राष्ट्रपति अक्सर नहीं मिलने के कारण आरक्षण अजा-जजा वर्ग में भी ऐसी कई जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग से उभर नहीं पा रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर राजनीतिक दल, समाजिक कार्यकर्ता और अन्य समूह भी प्रतिक्रिया में बंदे दिखाने रहे हैं। राजनीतिक दल अपने नके नुकसान के हिसाब से इन फैसले पर बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों ने इस मुद्दे पर लगाम चूपी सफा रखी है। राजनीतिक चरम से इतर दल जैसे संविधान पीठ का फैसला सामाजिक न्याय के लिए मील का पत्थर साबित हो सकेगा।

वर्तमान में दलित और आदिवासियों को शिक्षा और नौकरियों में क्रमशः 15 फीसदी और 7.5 फीसदी आरक्षण हासिल है। संविधान पीठ के दो कथन महत्वपूर्ण हैं। एक, एएसटी-एसीटी के कोटे में कुछ जातियों को उप-वर्गीकरण करने से संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं होता।



-डॉ. आशीष वशिष्ठ-

समानता का सिद्धांत स्थगित रहेगा। दूसरे, आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित करने चाहिए। यदि पहली पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर कुछ स्थिति तब पहुंच गई है, तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस वीरअर गवई ने एएसटी-एसीटी पर भी, ओबीसी की तरह, 'क्रीमीलेयर' लागू करने की बात कही है। यह शिक्षादास्यद मुद्दा बन सकता है। आरक्षण के आधार पर जो शरकों से राजनीति करते आ रहे हैं अथवा आरक्षण के कारण ही राजस्वानी की एक खास जाति में पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक दूसरे अफसर बनते रहे हैं, वे अपने हिस्से को बंटने क्यों देंगे?

अनुसूचित जाति समूह के भीतर जातियों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने का इतिहास दशकों से चला रहा है। वर्ष 1960 में कोटे के अंतर कोटा की मांग आने पर सच कैंटेरीय बनाने की मांग की। 2023 में सिकरवारकोटा की एक समा में पीएम मोदी ने कहा कि कोटे के अंतर कोटा का समर्थन करेंगे। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

ताजा फैसला पंजाब कोटा है। दरअसल पंजाब सरकार ने 2006 में संवर्णना बनाया था कि राज्य में एएसटी-एसीटी आरक्षण में 50 फीसदी आरक्षण, पहली प्राथमिकता के तहत, वाणीकी और मजदूरी शिर्कों को मिलेगा। पंजाब उच्च न्यायालय ने 2010 में इसे रद्द कर दिया था। उसने खिलाफ पंजाब सरकार सर्वोच्च अदालत पहुंचा था। सर्वोच्च संसदीय कोटा के अंतर कोटा के लिये अलग-अलग अनुच्छेद की व्याख्या स्पष्ट की है और कोटा के अर्थीय को सत्ता-वर्गीकरण का फैसला किया है। डाटा के आधार पर यह कोटा बदलता रहेगा। यही सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी एक वर्ग को 100 फीसदी आरक्षण दे दिया जाए। राज्य सरकारें नहीं बना से उप-वर्गीकरण नहीं जातियों की

समानता का सिद्धांत स्थगित रहेगा। दूसरे, आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित करने चाहिए। यदि पहली पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर कुछ स्थिति तब पहुंच गई है, तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस वीरअर गवई ने एएसटी-एसीटी पर भी, ओबीसी की तरह, 'क्रीमीलेयर' लागू करने की बात कही है। यह शिक्षादास्यद मुद्दा बन सकता है। आरक्षण के आधार पर जो शरकों से राजनीति करते आ रहे हैं अथवा आरक्षण के कारण ही राजस्वानी की एक खास जाति में पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक दूसरे अफसर बनते रहे हैं, वे अपने हिस्से को बंटने क्यों देंगे?

अनुसूचित जाति समूह के भीतर जातियों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने का इतिहास दशकों से चला रहा है। वर्ष 1960 में कोटे के अंतर कोटा की मांग आने पर सच कैंटेरीय बनाने की मांग की। 2023 में सिकरवारकोटा की एक समा में पीएम मोदी ने कहा कि कोटे के अंतर कोटा का समर्थन करेंगे। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

ताजा फैसला पंजाब कोटा है। दरअसल पंजाब सरकार ने 2006 में संवर्णना बनाया था कि राज्य में एएसटी-एसीटी आरक्षण में 50 फीसदी आरक्षण, पहली प्राथमिकता के तहत, वाणीकी और मजदूरी शिर्कों को मिलेगा। पंजाब उच्च न्यायालय ने 2010 में इसे रद्द कर दिया था। उसने खिलाफ पंजाब सरकार सर्वोच्च अदालत पहुंचा था। सर्वोच्च संसदीय कोटा के अंतर कोटा के लिये अलग-अलग अनुच्छेद की व्याख्या स्पष्ट की है और कोटा के अर्थीय को सत्ता-वर्गीकरण का फैसला किया है। डाटा के आधार पर यह कोटा बदलता रहेगा। यही सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी एक वर्ग को 100 फीसदी आरक्षण दे दिया जाए। राज्य सरकारें नहीं बना से उप-वर्गीकरण नहीं जातियों की







